न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 403/2022

दायर दिनांक 01.11.2022

निर्णय दिनांक 07.03.2024

उनवान

1. हनुमान सिंह पिता श्री भंवर सिंह राजपूत, जाति राजपूत, उम्र वयस्क निवासी आबाखेड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. गुमान सिंह पिता श्री तख्तसिंह जी राजपूत, उम्र वयस्क निवासी आबाखेड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
2. किशन सिंह पिता श्री तख्तसिंह जी राजपूत, उम्र वयस्क निवासी आबाखेड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
3. भैरू सिंह पिता श्री रायसिंह जी राजपूत, उम्र वयस्क निवासी आबाखेड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. भगवत सिंह पिता श्री रायसिंह जी राजपूत, उम्र वयस्क निवासी आबाखेड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. नारायण सिंह पिता श्री रायसिंह जी राजपूत, उम्र वयस्क निवासी आबाखेड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. दुर्गासिंह पिता श्री नारायण सिंह जी राजपूत, उम्र वयस्क निवासी आबाखेड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. रघुवीर सिंह पिता श्री कालू सिंह जी राजपूत, उम्र वयस्क निवासी आबाखेड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. कमला देवी पत्नी श्री शांतिलाल खटीक, उम्र वयस्क निवासी आबाखेड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. नारायण पिता श्री कालू खटीक, उम्र वयस्क निवासी आबाखेड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. उमेश पिता कालू खटीक उम्र वयस्क निवासी आबाखेड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. चांदी पत्नी बंशी खटीक उम्र वयस्क निवासी आबाखेड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. रामेश्वर पिता बरदा खटीक उम्र वयस्क निवासी आबाखेड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी दिनेश कुमार जोशी
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 09, 11, 12 गोपाल अजमेरा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08, 10 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आबाखेड़ी प0ह0 तिलोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 119 की अभिलिखित आराजियात 191 कुल किता 01 कुल रकबा 0.6955 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चेन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08, 10 उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 09, 11, 12 की ओर से जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा आबाखेड़ी प0ह0 तिलोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 119 की अभिलिखित आराजियात 191 कुल किता 01 कुल रकबा 0.6955 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा